तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र संख्या 81 / 2023 GCMS NO. 2023/174** **उनवानी भागीरथमल आदि बनाम वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी खेतड़ी** **अन्तर्गत धारा 128 / 111 एल.आर.एक्ट 1956**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित आये। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 वाके ग्राम नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 2317 / 508, 2320 / 509, 703, 712, 713 कुल किता 5 कुल रकबा 0.93 हेक्टेयर के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 0.18 हेक्टेयर की सीमाओं का विवाद रहता है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का दिनांक 01.06.2020 को विधिवत् सीमाज्ञान भी करवा लिया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 0.18 हेक्टेयर की सभी सीमाओं पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह कि वाके ग्राम नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 0.18 हेक्टेयर की पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी सीमा जो खसरा नम्बर 705, 702, 518 व 701 के साथ लगती है। उक्त खसरा नम्बर की सर्वेसीट से नपती करवाकर खसरा नम्बर 703 की पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी सीमा (सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2020 के अनुसार एफ से जी, जी से एच, एफ से जे व जे से आई) स्थान पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिल्लर लगवाने का आदेश दिया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 ग्राम नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी खाता संख्या 65 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 0.18 हेक्टेयर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2020 द्वारा पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 01.06.2020 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा **<u>आदेश</u>** अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम नानूवाली बावड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 0.18 हेक्टेयर की सभी सीमाओं की पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 के अनुसार 1000 / –रूपये की फीस पर भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 0.18 हेक्टेयर की सभी सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक **26.09.2023** को खुले न्यायालय सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी